राज्यपाल सचिवालय
राजभवन,जयपुर

क्रमांकः प.20( )राभ / उद्यान / फूल / 2025.26/ 4651 दिनांकः– 21 अगस्त, 2025

खुली बोली सूचना संख्या– 10 / 2025–26

राजभवन, जयपुर में फूल, फूल बंच एवं फ्लावर बास्केट, स्पेशल बंच ,रिद् रिंग, विभिन्न फूलों की पत्तियॉ, फूल मालायें एवं फ्लावर पत्ती आदि सप्लाई हेतु खुली बोली आमंत्रित की जाती हैं। बोली प्रपत्र एवं बोली की शर्तें मय सामग्री लिस्ट के राजभवन की वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in पर दिनांक **22.08.2025** को 06.00 बजे से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये	बोली प्रतिभूति राशि रूपये	बोली दस्तावेज राशि रूपये	बोली जमा कराने की अंतिम तिथि
1	फूल, फूल बंच एवं फ्लावर बास्केट , स्पेशल बंच ,रिद् रिगं, विभिन्न फूलों की पत्तियॉ ,फूल मालायें एवं फ्लावर पत्ती आदि **परिशिष्ट (अ)** के अनुसार सप्लाई	**8,00,000**	**16,000**	**200**	**01.09..2025**

उक्त कार्यो/सेवाओं हेतु बोलियॉ मुहरबंद लिफाफे में, जिन पर स्पष्ट रूप से प्रदाय की जा रही सेवा का नाम लिखा हो, **कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन जयपुर** के कार्यालय में निर्धारित तिथि दिनांक **01.09.2025** को दोपहर 2:00 बजे तक जमा की जायेगी जो उसी दिवस को अपराह्न 3:00 बजे उपापन समिति एवं उपस्थित बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

बोली दस्तावेज का निर्धारित शुल्क राशि रूपए 200 / – एवं बोली प्रतिभूति राशि रूपये 16000 / – बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के नाम जमा कराने होंगे। बिना बोली दस्तावेज राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि के बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।

21/8

(संध्या शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः प.20( )राभ / उद्यान / फूल / 2025.26/4652 – 4657 दिनांकः– 21-08-2025

अगस्त, 2025 **प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
2. कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी (IT), राजभवन, जयपुर को खुली बोली सूचना दस्तावेज को www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क (प्रकोष्ठ), राजभवन, जयपुर, को निदेशालय जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र प्रकाशन कराने हेतु।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष, राजभवन, जयपुर को खुली बोली सूचना विज्ञापन के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग कर उद्यान अनुभाग में भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, राजभवन, जयपुर।

21/8/2025

(संध्या शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

परिशिष्ट (अ)

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर
खुली बोली प्रपत्र

कार्य का नामः– फूल, फूल बंच एवं फ्लावर बास्केट , स्पेशल बंच ,रिद् रिगं, विभिन्न फूलों की पत्तियों ,फूल मालाऐं एवं फ्लावर पत्ती सप्लाई बाबत।

बोलीदाता का नामः–...

पताः–...

क्र.सं.	आईटम का नाम	इकाई प्रति नग/किलो	दर रूपये	जी.एस.टी./कर की दर प्रतिशत में
1.	टाटा रोज फ्लावर	प्रति नग		
2.	गुलदाउदी फ्लावर	प्रति नग		
3.	ग्लेडिसोलस/ग्लेड	प्रति नग		
4.	रजनीगन्धा(डबल)	प्रति नग		
5.	कार्नेशन फ्लावर	प्रति नग		
6.	जरबेरा फ्लावर	प्रति नग		
7.	लिली	प्रति नग		
8.	लिली (वाटर)	प्रति नग		
9.	फ्लावर बंच (10व 20 फ्लावर)	प्रति नग		
10.	फ्लावर बंच (30व 40 फ्लावर)	प्रति नग		
11.	फ्लावर बंच (50व 60 फ्लावर)	प्रति नग		
12.	फ्लावर बास्केट(10 टाटा रोज)	प्रति नग		
13.	फ्लावर बास्केट(20 टाटा रोज)	प्रति नग		
14.	फ्लावर बास्केट(10 जेबरा)	प्रति नग		
15.	फ्लावर बास्केट(15 जेबरा)	प्रति नग		
16.	हजारे की माला (डबल)	प्रति नग		
17.	हजारे के फूल की पंखुड़ियॉं	प्रति किलो		
18.	सफेद फूल की पंखुड़ियॉं	प्रति किलो		
19.	गुलाब फूल की पंखुड़ियॉं	प्रति किलो		
20.	गुलाब की माला (सादा)	प्रति नग		
21.	गुलाब गजरा	प्रति नग		
22.	केरेन्थी(सफेद फूल)की माला	प्रति नग		
23.	नोरंगा फूलों का गजरा	प्रति नग		
24.	पीले फूलों का गजरा	प्रति नग		
25.	हरे पत्तों की माला	प्रति नग		
26.	मोगरे की माला एवं गजरा	प्रति नग		
27.	स्पेशल फ्लावर बास्केट	प्रति नग		
28.	स्पेशल बंच (नोट कम सं0 1 के अनुसार)	प्रति नग		
29.	रिद् रिगं सादा	प्रति नग		
30.	रिद् रिगं स्पेशल क्वालिटी (नोट कम सं0 2 के अनुसार)	प्रति नग		
31.	आर्किड	प्रति नग		
32.	गुलाब के फूल	प्रति किलो		
33.	स्पेशल फ्लावर ओएसिस बट्टी 9 (नोट कम सं0 3 के अनुसार)	प्रति नग		
34.	स्पेशल फ्लावर ओएसिस बट्टी 6	प्रति नग		
35.	डेजी फ्लावर	प्रति स्टिक		
36.	आक माला	प्रति नग		

नोटः–**(1)** स्पेशल बंच में फूलों की संख्या–4 लीली, 30 कारर्नेशन **(2)** स्पेशल फ्लावर रिद् रिगं –40 कारर्नेशन, 25 ग्लेडिसोलस,, 25–25 मोगरे/गुलदाउदी की माला **(3)**-स्पेशल फ्लावर ओएसिस बट्टी 10 कारर्नेशन, 10 जरबेरा , 10 टाटा रोज (9") मिनी - 5 कारर्नेशन,5 जरबेरा 5 टाटा रोज

नोटः दरों में GST शामिल न कर पृथक से दिये गये कॉलम में अंकित करें एवं GST की दर सरकार द्वारा परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तित देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | उप सचिव प्रथम

परिशिष्ट (ब)

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन,जयपुर

खुली बोली सूचना संख्या– 10/2025–26 की की शर्ते

कार्य का नामः– राजभवन, जयपुर में फूल, फूल बंच एवं फ्लावर बास्केट,स्पेशल बंच ,रिद् रिगं, विभिन्न फूलों की पत्तियॉ ,फूल मालायें एवं फ्लावर पत्ती सप्लाई बाबत।

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय लेखा नियम एवं इससे सम्बन्धित वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना , परिपत्र , गाईडलाइन ,आदेश, निर्देश प्रभावी होंगे। बोलीदाता को "नियम" "अधिनियम" की पूर्व जानकारी कर लेनी चाहिये। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" "नियम" के किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "नियम" एवं "अधिनियम" के प्रावधान प्रभावी होगें।
2. राजभवन के सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी के मौखिक/टेलिफोनीक **संदेश के तुरन्त बाद मांग अनुसार सामान यथा आदेश अधिकत्तम समय 20 मिनिट मे राजभवन में उपलब्ध** कराना होगा।
3. समस्त सामान राजभवन की गरिमा के अनुसार ताजा एवं बिना कीट–व्याधि के उपलब्ध कराना होगा।
4. बोली प्रपत्र सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। बोली दर सिर्फ स्याही से भरी जावे उसमें कोई काट–छांट ना हो। किसी प्रकार के सुधार पर अपने लघु हस्ताक्षर करें।
5. बोली प्रपत्र एवं संलग्न शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा PAN/GST की स्व हस्ताक्षरीत प्रति संलग्न करनी होगी।
6. सफल निविदादाता की दरें अनुमोदित होने के बाद नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में राशि जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
7. यदि अनुमोदित फर्म अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रही तो अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा ।
8. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है तथा किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है।
9. कन्ट्रोलर राजभवन/ अधीक्षक उद्यान या उन्हीं की ओर से अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी किसी भी समय फूल, फूल बंच एवं फ्लावर बास्केट , स्पेशल बंच ,रिद् रिगं, विभिन्न फूलों की पत्तियॉ एवं फ्लावर पत्ती का निरीक्षण करने पर यदि कोई भी कमी पाई जाती है तो विभाग द्वारा तुरन्त प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
10. यदि आवश्यक समझे तो बोलीदाता बोली देने से पूर्व राजभवन उद्यान अनुभाग में उपस्थित होकर अधीक्षक उद्यान से कार्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
11. उक्त बोली के अनुबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो उस स्थिति में अंतिम निर्णय सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम व सर्व मान्य होगा।
12. बोली प्रपत्र वही भरने का पात्र होगा जिसके पास राजकीय विभाग/ वी.वी.आई.पी. जगह इसी प्रकृति का कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होगा ।
13. संवेदक कार्यादेश के पश्चात यदि कार्य को अधूरा छोडता है अथवा संतोषजनक तरीके से पूर्ण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में संवेदक को 7 दिवस का नोटिस जारी किया जायेगा, तत्पश्चात भी अगर स्थिति में सुधार नहीं करता है तो उस पर कुल बिल राशि की प्रथम बार 5 प्रतिशत शास्ति, द्वितीय बार 7 प्रतिशत शास्ति एवं तृतीय बार 10 प्रतिशत शास्ति लगायी जायेगी। यदि इसके बाद भी कार्य में सुधार नहीं आता है तो बोली निरस्त कि जाकर प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावेगा।
14. बोली संबंधी समस्त पत्राचार **कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड,राजभवन जयपुर** के नाम करना होगा तथा बोली के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी।

15. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश जारी दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी तथा परस्पर सहमति व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानानुसार उक्त अवधि को बढाया जा सकेगा।

16. राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर लागू नियमों की पालना करनी होगी।

17. वित्तीय बिड प्रपत्र में प्रस्तूत दरों में से न्यूनतम दरदाता का निर्धारण सर्वाधिक आइटम्स की न्यूनमत दरों के आधार पर किया जावेगा।

18. अनुमोदित फर्म द्वारा कार्य सबलेट नहीं किया जायेगा।

19. दरों की वैधता– तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य होगी।

20. अनुबन्धित बोलीदाता /संवेदक संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को संविदा कीमत से कम कीमत कोट करता है/कम करता है तो उस दर संविदा के अधिन कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से यह दर संविदा स्वतः कम हो जावेगी और दर संविदा तदानुसार संशोधित की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

लेखाधिकारी **कन्ट्रोलर** **उप सचिव प्रथम**

परिशिष्ट "द"

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

खुली–बोली की समस्त शर्त्तो का मैने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। हम यह भी प्रमाणित करते है कि हमारे द्वारा चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कुशल श्रमिक/कौशल उपलब्ध हैं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 46 एवं नियम–39 के अनुसार राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था से पात्रता के लिए विवर्जित (Debarred)नहीं किया गया है। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ,ब,स,द एवं नमूना करार पत्र तथा बोली आमंत्रण को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

लेखाधिकारी **कन्ट्रोलर** **उप सचिव प्रथम**

अनुलग्नक 'अ'

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any and
(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
   a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
   d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
उप सचिव प्रथम

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

उप सचिव प्रथम

अनुलग्नक 'स'

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Secretary to Governor of Rajasthan**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Secretary Cabinet Sectt. Govt.of Rajasthan,Jaipur**

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement.

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.

(d) Cancellation of a procurement process.

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
(i)hear all the parties to appeal present before him: and
(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

लेखाधिकारी　　　　कन्ट्रोलर　　　　उप सचिव प्रथम

अनुलग्नक 'द'

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtracts, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in

Which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier Fails to do so, Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very. large and it may not be In the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates or the Bidder, whose Bid is accepted.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | उप सचिव प्रथम

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No...........of..............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :..
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :...
   ....
   ....
   Place ....
   Date ....

Appellant's Signature

लेखाधिकारी कन्ट्रोलर उप सचिव प्रथम

नमूना करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक .... **माह** ....**सन् 2025** को एक पक्ष के .... (जिसे इसमें आगे ''अनुमोदित प्रदायकर्ता'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे ''सरकार'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया ।

2. अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के .... को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम **संलग्न** में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।

3. अनुमोदित प्रदायकर्ता ने राशि रूपये .... की राशि ....

1.''ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा'';

2.किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

3.राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

4.किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए RTPP 2013 के नियम 42 में वर्णित के समान होंगीं।

5.किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैः

(1.) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर .... के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता .... और उसके **आदेश** में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत् प्रदाय करेगा।

(2.) निविदा सूचना संख्या .... **दिनांक** .... से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।

(3.) निविदादाता से प्राप्त पत्र संख्या दिनांक .... तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्या .... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।

(4.) (क) सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त वस्तुओं का उपर्युक्त तरीके से विधिवत् प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार .... के माध्यम से अनुमादित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगा या भुगतान करवाएगी।

5. (ख) भुगतान राजकीय ट्रेजरी के माध्यम से ---------------------- की विधि होगा, जिसके लिये निम्नांकित विवरण है:–

i. बैंक का नाम एवं पता :– ....

i i. बैंक खाता धारक फर्म का नाम (जैसा कि बैंक खाते में लिखा हो) :– ....

i i i. बैंक खाता संख्या :– ....

i v. बैंक IFSC कोड नं :– ....

5. माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि कें भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगीः–

कम संख्या	मदों की मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

6. **(1)** (i) यदि शास्ति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो प्रदाय न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगीः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणीः (i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(iii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमाजित नुकसानी के साथ या उनके बिना कर दी जाएगी।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

8. अनुबन्ध की अवधि आदेश जारी दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी तथा परस्पर सहमति अनुसार से उक्त अवधि को बढाया भी जा सकता है।

इसके साक्ष्य में इससे पक्षकारों ने आज **दिनांक** .... **सन् 2025** को अपने हस्ताक्षर किए ।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर /पदनाम	अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

लेखाधिकारी **कन्ट्रोलर** **उप सचिव प्रथम**